

20.02.24 पत्रावली पेश। वकील पार्थी एवं पेंडीकर
सन. उप। पत्रावली का अवलोकन करने
रुवे बहस पर मनन करने पर पार्थी का
पार्थी पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण
स्वीकार किया जा रहा है। विस्तृत निर्णय
पृथक् से लिखा जाकर संलग्न किया
गया। पत्रावली बाद तरलीक तकमील
होना दाखिल इफ्तार है।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय
में शुद्धाया गया।



